

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक -
सं०सं०-16/एम.1-58/2014 - / (आ०चि०)/स्वा०/ डा० गौतम प्रसाद,
आवासीय चिकित्सा पदाधिकारी को निबंधक, राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा परिषद्, पटना
के पद से मुक्त करते हुए अनुसंधान पदाधिकारी (आयुर्वेद), राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी
अनुसंधान इकाई, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है एवं डा० अरुण कुमार सिंह, आवासीय
चिकित्सा पदाधिकारी, राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज अस्पताल, पटना को निबंधक, राजकीय
आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा परिषद्, पटना का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

2- यह आदेश तुरत के प्रभाव से लागू होगा।

3- प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(नागेन्द्र प्रसाद)

सरकार के उप सचिव


ज्ञापांक :-16/एम.1-58/2014 - 1455- (आ०चि०)/ पटना, दिनांक - 20.11.2018

प्रतिलिपि- अवर सचिव, मुद्रणालय शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/ जिला
पदाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त
सचिव/अपर सचिव/आयुष निदेशालय के सभी पदाधिकारियों/प्राचार्य/अधीक्षक, राजकीय
आयुर्वेदिक/यूनानी/होमियोपैथिक कॉलेज अस्पताल, बिहार/सभी जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी,
बिहार/सम्बंधित आवासीय चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड
करने हेतु प्रेषित।



सरकार के उप सचिव